

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:-148/2020

निर्णय दिनांक :- 24.09.2024

उनवानी दावा:-

1. गोपाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. कमला पुत्री रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. रामावतार पुत्र गोपाल लाल जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. शिवराज पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.

—वादीगण—

बनाम

1. किशनलाल पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
2. कौशल्या पुत्री बैजनाथ जाति जाट निवासी खोडा का खेडा तहसील निवाई
3. प्रेम पत्नी बैजनाथ जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
4. जगदीश पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
5. फुलां पुत्री पोखर पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी रामपुरा पोस्ट बोदून्दा तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. रामरतन पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. तहसीलदार देवली

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :-

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

दावा बाबत विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अंतिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 27.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से क्रमांक 1798 दिनांक 11.06.24 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें तो कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये हैं। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता सं० 183 के ख०नं० 141 रकबा 0.08 है०, ख०नं० 1674 रकबा 0.10 है०, ख०नं० 169 रकबा 0.35 है०, ख०नं० 170 रकबा 0.55 है०, ख०नं० 247 रकबा 0.54 है०, ख०नं० 486 रकबा 0.08 है०, ख०नं० 85 रकबा 0.08 है० किता 7 कुल रकबा 1.78

24.09.2024

है0, वाके ग्राम निवारिया तहसील देवली दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी है। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

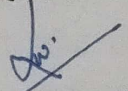
ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का निवारिया भू अभि. क्षेत्र पोल्याड़ा के खाता संख्या 19 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	गोपाल पुत्र रामनारायण हि. 1/2 जाति जाट राहिन बीआरकेजीबी शाखा बन्थली ख. नं. 85 बिना रहन। कमला देवी पुत्री रामनारायण हि. 1/2 जाति जाट सा. श्रीनगर	85	0.04	चाही 1 0.02	0.66
				जाव 1 0.02	0.33
		247	0.26	बा.1	2.08
	योग	किता 2	0.30	—	3.07
2	रामअवतार पुत्र गोपाल लाल जाति जाट सा. श्रीनगर खातेदार राहिन बीआरकेजीबी शाखा बन्थली हि. 20/21	141	0.08	चाही. 1	2.64
		169	0.35	बा. 1	2.80
		170	0.21	बा. 1	1.68
		247	0.13	बा.1	1.04
		486	0.08	चाही 1 0.05	1.65
	योग	किता 5	0.85	—	10.31
3	शिवराज पुत्र रामनारायण जाति जाट सा. श्री नगर खातेदार	85	0.04	चाही 1 0.03	1.99
				जाव 1 0.01	0.17
		247	0.15	बा.1	1.20
	कुल	किता 10	0.19	—	2.36
4	किशनलाल पुत्र पोखर हि. 1/5 जगदीश पुत्र पोखर हि. 1/5 रामरतन पुत्र पोखर हि. 1/5 राहिन बी.ओ.बी शाखा देवली, फूला पुत्री पोखर हि. 1/5 राहिन बी.ओ.बी शाखा देवली, प्रेम पत्नी बैजनाथ हि. 1/10 राहिन बी.ओ.बी देवली कौशल्या पुत्री बैजनाथ हि. 1/10 राहिन बी.ओ.बी देवली सभी जाति जाट सा. श्रीनगर खातेदार	170	0.34	बा.1	2.72
		1674	0.10	बा.1	0.80
	योग	किता-2	0.44	—	3.52

24.09.2024

सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तेवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि में जबरन कब्जा नहीं करे। वादीया के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और वाद रहन, दान, वसीयत नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 24.09.2024 को सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक

उनवानी दावा:-

1. गोपाल पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. कमला पुत्री रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. रामावतार पुत्र गोपाल लाल जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. शिवराज पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.

-वादीगण-

बनाम

1. किशनलाल पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
2. कौशल्या पुत्री बैजनाथ जाति जाट निवासी खोडा का खेडा तहसील निवाई
3. प्रेम पत्नी बैजनाथ जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
4. जगदीश पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली
5. फुलां पुत्री पोखर पत्नी प्रहलाद जाति जाट निवासी रामपुरा पोस्ट बोदून्दा तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. रामरतन पुत्र पोखर जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. तहसीलदार देवली

-प्रतिवादीगण-

दावा बंटवारा आराजीयात, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 148 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.मुझ श्री मनोज कुमार मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2073-76 वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का निवारिया भू. अभि. नि. क्षेत्र पोल्याड़ा तहसील देवली के हाल खाता सं० 19 के ख०नं० 100 रकबा 0.18 है० ख०नं० 35 रकबा 0.12 है० ख०नं० 37 रकबा 0.18 है० ख०नं० 38 रकबा 0.28 है० ख०नं० 43 रकबा 0.43 है० ख०नं० 44 रकबा 0.45 है० ख०नं० 45 रकबा 0.44 है० ख०नं० 46 रकबा 0.11 है० ख०नं० 47 रकबा 0.09 है० ख०नं० 48 रकबा 0.10 है० ख०नं० 49 रकबा 0.53 है० ख०नं० 89 रकबा 0.11 है० ख०नं० 90 रकबा 0.21 है० ख०नं० 91 रकबा 0.06 है० ख०नं० 92 रकबा 0.43 है० ख०नं० 93 रकबा 0.23 है० ख०नं० 95 रकबा 0.03 है० गै०मु० रास्ता, ख०नं० 96 रकबा 0.02 है० गै०मु० चाह ख०नं० 97 रकबा 0.33 है० ख०नं० 98 रकबा 0.35 है० ख०नं० 99 रकबा 0.11 है० किता 21 कुल रकबा 4.79 है०.

24.09.2024

राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का निवारिया भू अभि. क्षेत्र पोल्याड़ा के खाता संख्या 19 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	गोपाल पुत्र रामनारायण हि. 1/2 जाति जाट राहिन बीआरकेजीबी शाखा बन्धली ख. नं. 85 बिना रहन। कमला देवी पुत्री रामनारायण हि. 1/2 जाति जाट सा. श्रीनगर	85	0.04	चाही 1 0.02 जाव 1 0.02	0.66 0.33
		247	0.26	बा.1	2.08
	योग	किता 2	0.30	—	3.07
2	रामअवतार पुत्र गोपाल लाल जाति जाट सा. श्रीनगर खातेदार राहिन बीआरकेजीबी शाखा बन्धली हि. 20/21	141	0.08	चाही. 1	2.64
		169	0.35	बा. 1	2.80
		170	0.21	बा. 1	1.68
		247	0.13	बा.1	1.04
		486	0.08	चाही 1 0.05 जाव 1 0.03	1.65 0.50
	योग	किता 5	0.85	—	10.31
3	शिवराज पुत्र रामनारायण जाति जाट सा. श्री नगर खातेदार	85	0.04	चाही 1 0.03 जाव 1 0.01	1.99 0.17
		247	0.15	बा.1	1.20
	कुल	किता 10	0.19	—	2.36
4	किशनलाल पुत्र पोखर हि. 1/5 जगदीश पुत्र पोखर हि. 1/5 रामरतन पुत्र पोखर हि. 1/5 राहिन बी.ओ.बी शाखा देवली, फूला पुत्री पोखर हि. 1/5 राहिन बी.ओ.बी शाखा देवली, प्रेम पत्नी बैजनाथ हि. 1/10 राहिन बी.ओ.बी देवली कौशल्या पुत्री बैजनाथ हि. 1/10 राहिन बी.ओ.बी देवली सभी जाति जाट सा. श्रीनगर खातेदार	170	0.34	बा.1	2.72
		1674	0.10	बा.1	0.80
	योग	किता-2	0.44	—	3.52

24.09.2024

सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तिवादीगण संख्या 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादीया के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक की भूमि में जबरन कब्जा नहीं करे। वादीया के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और वाद रहन, दान, वसीयत नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज
की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 09 सन् 2024
को जारी किया गया।

दस्तख्त

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा

देवली (टॉक)

मुहर

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।